भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 254 का उत्तर

तेलंगाना में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

254. श्री गोडम नागेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेलंगाना राज्य में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित नए मार्ग कौन से हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाना है; और
(ग) रेल बजट 2023-24 में इसकी घोषणा के बाद रेल लाइन के सर्वेक्षण की स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

तेलंगाना में नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री गोडम नागेश के अतारांकित प्रश्न सं. 254 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादित किया जाता है न कि राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार, संसद सदस्यों, अन्य सामाजिक प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक विचारों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉर्वर्ड, धन की समग्र उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

तेलंगाना में रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत शामिल हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेलवे परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24 और वर्तमान वर्ष 2024-25 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत एकीकृत योजना बनाने, संवर्धित संभार तंत्र दक्षता और यात्रियों के निर्बाध आवागमन हेतु कमियों को दूर करने, माल एवं सेवाओं, औद्योगिक क्लस्टरों, पत्तनों, खानों, विद्युत संयंत्रों, कृषि क्षेत्रों से संपर्कता आदि के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की मल्टीमोडल संपर्कता अवसंरचना के विकास हेतु तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 6066 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर करने वाले 62 सर्वेक्षणों (19 नई लाइन और 43 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात तेलंगाना राज्य में पूर्ण/आंशिक रूप से पड़ने वाली 10,448 करोड़ रुपए की लागत और कुल 828 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली 08 परियोजनाओं को वर्ष 2023-24 में स्वीकृत किया गया है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 32,946 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,298 किलोमीटर की कुल लंबाई की 20 परियोजनाएं (07 नई लाइन और 13 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 474 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2024 तक 9,958 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है। इस कार्य की स्थिति निम्नानुसार हैः-

S.K

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	पूरा करने हेतु शेष लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	7	997	245	752	4433
दोहरी लाइन	13	1301	230	1072	5526
कुल	20	2298	474	1824	9958

वर्ष 2014 से परियोजनाओं के बजट आबंटन और अनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तेलंगाना राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले अवसंरचना संबंधी और संरक्षा कार्यों के लिए वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट परिव्यय
2023-2024	4,418 करोड़ रु.
2024-2025	5,336 करोड़ रु.

भारतीय रेल में कमीशनिंग/ नए रेलपथ बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया हैः

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई
2009-14	87 कि.मी	17.4 कि.मी प्रति वर्ष
2014-24	650 कि.मी	65 कि.मी प्रति वर्ष (3 गुना से अधिक)

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना (परियोजनाओं के) स्थल में कानून व्यवस्था की स्थिति, विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं में समापन समय को प्रभावित करते हैं।

S.K

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें (i) निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी, (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण वानिकी एवं वन्यजीव संबंधी मंजूरियों हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई तथा परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करना शामिल है।

******

S.K